

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 13/2023

बउनवान

1. प्रदीप आयु 42 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति सुनार निवासी अन्ता जिला बारां (राज०)
2. कपिल आयु 40 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति सुनार निवासी अन्ता जिला बारां
3. शिवशंकर आयु 62 वर्ष पुत्र श्री कुन्जबिहारी जाति सुनार निवासी अन्ता जिला बारां
4. चन्द्रप्रकाश आयु 58 वर्ष पुत्र श्री कुन्जबिहारी जाति सुनार निवासी अन्ता जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 13.09.2023

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 01.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम अन्ता तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 174,175 रकबा 0.50 है., किस्म-गैर मुम. तलाई पर अतिक्रमी मानकर वार्षिक लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।



जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 01.02.2023 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 4/22 निर्णय दिनांक 04.03.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 174,175 रकबा 0.50 है0 किस्म गै.मु. तलाई ग्राम अंता पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 4/22 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 78/22-23 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारान (राज०)